न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, I.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 174/15 (वाद)

1. श्री कजोडीमल पिता माना रेगर निवासी मावली तह. मावली।

............वादी

बनाम्

1. श्री डालचन्द पिता नवला रेगर निवासी मावली तह. मावली।
2. श्री विनोदकुमार पिता डालचन्द रेगर निवासी मावली तह. मावली।
3. श्री राजकुमार पिता डालचन्द रेगर निवासी मावली तह. मावली।
4. श्री देवीलाल पिता धनराज रेगर निवासी मावली तह. मावली।
5. श्री अशोक पिता धनराज रेगर निवासी मावली तह. मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तह. मावली।

..............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री लक्ष्मीलाल रेगर, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::

दिनांक 10.01.2020

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गन्दोलीखेडा पटवार हल्का लदानी मे मुझ वादी की खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है जिसके खसरा नम्बर 181 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा है जिसकी जमाबन्दी की नकल साथ संलग्न हैं। उक्त वर्णित आराजी राजस्व अभिलेख में खातेदारी हक से वादी के नाम दर्ज हैं। जिसमें वादी बिना किसी बाधा के काश्त करता चला आ रहा है, जिसके सटमा इसी जमीन में से कनवर्ट करवाई जमीन 546/181 रकबा 10 बिस्वा आबादी की है जिस पर वादी की पक्की दुकानें बनी हुई है जो वादी ने हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड दरीबा में नौकरी पर कार्यरत रहते हुए ऋण लेकर बनाई थी, जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक एवं अधिकार नहीं हैं। प्रतिवादीगण ने वादी की उक्त जमीन में दिनांक 18.07.15 को जबरन प्रवेश कर थोहर एवं बंबूल काट दिये तथा बाड बनाने लगे जिसका पता मुझे चला तो मै तुरन्त ही मौके पर मेरे खेत पर गया तो आगे प्रतिवादीगण मौजूद मिले, मेरा करीबन 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपयें का नुकसान कर दिया, मैने उन्हे ऐसा करने से मना किया तो मुझे भी मारने की धमकी दी मैं उसी समय तुरन्त थाना मावली पर गया तथा लिखित में इत्तला प्रस्तुत की।

2. वादी की खातेदारी की उक्त कृषि भूमि आराजी नम्बर 181 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा में पत्थर खाद आदि पडे हुए है जिन्हे भी हटाकर ले जाने की धमकी दी प्रतिवादीगण मेरी जमीन को जबरन खरीदना चाहते है, लेकिन मैं नहीं बेचना चाहता हूं, मुझे जबरदस्ती तंग व परेशान करना चाहते है तथा जबरन कब्जा करने पर आमादा हैं। मेरी जमीन रोड पर आई हुई है, जबकि प्रतिवादीगण की खातेदारी की वहां पर कोई जमीन नहीं हैं। प्रतिवादीगण जबरन वादी की जमीन को हडपना चाहते है, जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नहीं हैं। इसलिए में वादी जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को पाबंद कराने के अधिकारी हुं कि वे उक्त जमीन में किसी प्रकार की तोड फोड नहीं करे, प्रवेश नहीं करे, अतिक्रमण नहीं करें, बाड एवं वृक्ष आदि नहीं काटे तथा वादी एवं वादी के परिवार, सिजारी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें।
3. वादकारण दिनांक 18.07.2015 को उत्पन्न हुआ जब वादी की उक्त खातेदारी की जमीन में प्रतिवादीगण ने अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर थोहर की बाड एवं बबूल को काट दिये तथा मना करने पर मरने मारने पर उतारू हुए मेरा नुकसान कर दिया थाने पर मैनें उसी दिन इत्तला लिखित में दी, उसके बाद प्रतिवादीगण धमकीयां दे रहे है तथा वे कोई भी गेर जिम्मेदारान कार्य कर सकते है अभी बारिश का मौसम हैं। वादकारण उत्पन्न होकर जारी हैं।
4. वादी का प्रथम दृष्टया मामला है, जमीन खातेदारी की है, वादपत्र में वर्णित जमीन में प्रतिवादीगण जबरन प्रवेश कर कब्जा करने पर आमादा है, थोहर की बाड एवं बंबूल को काट दिये जबरन कब्जा करने लगे मना किया तो मरने मारने पर आमादा है जबकि प्रतिवादीगण की वहां कोई खातेदारी की जमीन नहीं है। यदि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो वे वादपत्र में वर्णित वादी की खातेदारी की जमीन में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर कब्जा कर लेंगे, नुकसान कर देंगे, उससे वादी को भारी असुविधा होगी, मुकदमें बाजी बढेगी तथा उससे वादी को जो अपूरणीय क्षति होगी उसका मुल्यांकन मुद्रा में किया जाना संभव नहीं होगा, जबकि स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की असुविधा या नुकसान होने वाला नहीं हैं।
5. अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रदान करायी जावे कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिवादीगण

को पाबंद किया जावे कि मौजा गन्दोली खेडा पटवार हल्का लदानी में स्थित वादी के खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 181 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा में प्रतिवादीगण प्रवेश नहीं करे, उसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचावे, कब्जा नहीं करे, थोहर की बाड नहीं काटे वृक्ष आदि नहीं काटे। वादी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे न अन्य से करावें। दौराने दावा यदि प्रतिवादीगण वादी की उक्त जमीन अथवा उसके किसी भाग पर कब्जा कर लेंवे अथवा कब्जा पाया जावे तो हटाया जाकर वादी को पूर्ववत कब्जा दिलाया जाकर वाद दायर की दिनांक की स्थिति को यथावत् रखाया जावें।

6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी सं. 6 राजपेरोकार द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई।

7. वादी द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री कजोडीमल, पीडब्ल्यू 2 श्री बाबुदास, पीडब्ल्यू 3 श्री रतनलाल, पीडब्ल्यू 4 श्रीमती उदीबाई का पेश किया। वादी द्वारा दस्तावेज नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1 पेश की।

8. प्रकरण में अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

9. हमने पत्रावली का अवलोकन किया दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर बगौर मनन किया। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में वादी के नाम दर्ज हैं, जो जमाबन्दी प्रदर्श 1 से स्पष्ट हैं। वादग्रस्त भूमि के प्रतिवादी खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रतिवादीगण वादी की भूमि में जबरन दखलन्दाजी करते हैं व वादग्रस्त भूमि में अतिक्रमण कर बाड, वृक्ष काटने पर उतारू होकर सीजारी को परेशान करने पर उतारू होते हैं। जिससे रूष्ट होकर वादी द्वारा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करने हेतु उक्त वाद प्रस्तुत किया हैं। प्रकरण में दस्तावेजों के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि के वादी खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहे हैं एवं किसी प्रकार से वादी के वाद का खण्डन नहीं किया हैं। इससे भी वादी के वाद को बल

मिलता हैं। प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार नहीं होने से प्रतिवादीगण को वादी की खातेदारी में दखलन्दाजी करने का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं हैं फिर भी यदि प्रतिवादीगण वादी को नाजायज रूप से उसकी खातेदारी भूमि में दखलन्दाजी कर वादी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करते है तो वादी के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ वादी खातेदार को भारी क्षति होने की पूरी–पूरी सम्भावना हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी खातेदार के हक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रकरण में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा गन्दोली खेडा पटवार हल्का लदानी की आराजी नम्बर 181 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 5 दखलन्दाजी नहीं करें, जबरन प्रवेश नहीं करें, बाड वृक्ष आदि नहीं काटें, वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें। उक्त कार्य न स्वयं न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत हीं करावें। स्थाई निषेधज्ञा से पाबंद रहे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली

डिकी व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

उनवान्

1. श्री कजोडीमल पिता माना रेगर निवासी मावली तह. मावली।

............वादी

बनाम्

1. श्री डालचन्द पिता नवला रेगर निवासी मावली तह. मावली।
2. श्री विनोदकुमार पिता डालचन्द रेगर निवासी मावली तह. मावली।
3. श्री राजकुमार पिता डालचन्द रेगर निवासी मावली तह. मावली।
4. श्री देवीलाल पिता धनराज रेगर निवासी मावली तह. मावली।
5. श्री अशोक पिता धनराज रेगर निवासी मावली तह. मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 174/15 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु अक्षय गोदारा I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है किः–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा गन्दोली खेडा पटवार हल्का लदानी की आराजी नम्बर 181 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 5 दखलन्दाजी नहीं करें, जबरन प्रवेश नहीं करें, बाड वृक्ष आदि नहीं काटें, वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें। उक्त कार्य न स्वयं न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत हीं करावें। स्थाई निषेधज्ञा से पाबंद रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10.01.2020 को जारी की गई।

(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.02.12 13:39:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: